# झारखण्ड विधान सभा

## ध्यानाकर्षण सूचना

**पंचम् झारखण्ड विधान-सभा**
**द्वादश (मॉनसून) सत्र**

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 02.08.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 01. | 02. | 03. | 04. |
| 01- | श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0<br>श्री सुखराम उराँव स0वि0स0 | जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा 2006-07 में बहुदेशीय बालपहरी बांध परियोजना के तहत बराकर नदी में तिलैया बांध एवं मैथन बांध परियोजना के बीच धनबाद जिला के टुंडी प्रखण्ड तथा गाण्डेय प्रखण्ड में लगभग कुल-6000 करोड़ रुपये की प्रस्तावित लागत से बराकर नदी में बांध निर्माण परियोजना का कार्यान्वियन कराने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमे बराकर नदी का पानी संचय कर बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पेयजल एवं औद्योगिक आपूर्ति तथा विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। जिसका वर्ष 2012 में CWC द्वारा DPR का प्रारूप तैयार कर DVC को उपलब्ध करा दिया गया था। वर्त्तमान में उक्त परियोजना का DPR जल संसाधन विभाग के पास लंबित है।<br>अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ कि राज्यहित एवं अपार जनहित में 2006-07 से लंबित बहुदेशीय बालपहरी बांध परियोजना के तहत बराकर नदी में चयनित स्थल पर बांध का निर्माण कराया जाए। | जल संसाधन |

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| 02- | श्री बिरंची नारायण स0वि0स0 | बोकारो के चास प्रखण्ड अन्तर्गत करीब 28 एकड़ में अवस्थित कालापत्थर बड़ा बांध काफी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके बगल में प्राचीन हनुमान मंदिर अवस्थित है, जो स्थानीय ग्रामीणों और इसके आस-पास के लोगों का आस्था का केन्द्र है।<br>स्थानीय ग्रामीण मारुति नंदन सेवा ट्रस्ट के मार्फत अपने स्वयं के खर्च पर उक्त हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते हुए भगवान हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति अधिष्ठापित करना चाहते हैं।<br>अतएव सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग करता हूँ कि, उक्त मूर्ति अधिष्ठापन और मंदिर का जीर्णोद्धार कराने हेतु सरकार अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे, क्योंकि उक्त भूमि सरकारी भूमि है और उक्त क्षेत्र को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाय। | पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य |
| 03- | श्री कमलेश कुमार सिंह स0वि0स0 | कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के पत्रांक-03/कृ0रा0यो0-13/2022, 37/राँची, दिनांक-20.10.2022 के द्वारा निर्गत पत्र (स्वीकृतादेश) में मृदा एवं जल संरक्षण योजना के जलानिधि उपयोजना अन्तर्गत विभिन्न स्त्रोतों से सिंचाई की समुचित व्यवस्था हेतु परकोलेशन टैंक निर्माण एवं डीप बोरिंग का कार्य कराया जाता है। जिसमें कृषक/संस्था का चयन के संदर्भ में उपरोक्त पत्र के क्रमांक-22.1 के उपक्रमांक (III) में स्पष्ट उल्लेखित है, कि माननीय स्थानीय विधायक को अनुशंसा को प्राथमिकता दी जाएगी। परन्तु जिला भूमि संरक्षण कार्यालय, पलामू के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा माननीय विधायक, हुसैनाबाद के अनुशंसा के आलोक में एक भी परकोलेशन टैंक अथवा डीप बोरिंग का चयन नहीं किया गया है। बल्कि निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय, पलामू के | कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता |

कृ0पृ030-

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | पदाधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा मनमाने तरीके से योजनाओं का चयन कर लिया गया है।<br>अतः मैं उक्त संदर्भ में उच्चस्तरीय जाँच कराकर जिला भूमि संरक्षण कार्यालय, पलामू के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई करने तथा माननीय विधायक, हुसैनाबाद के अनुशंसा के आलोक में योजनाओं की चयन करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। | |
| 04– | श्री विकास कुमार मुण्डा स0वि0स0 | मैं सभा का ध्यानाकृष्ट कराना चाहूँगा कि हमेशा से सुदूर क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को लेकर कई बाधाएं आती रहती हैं जिसमें मुख्य है ट्रांसफार्मर का उपलब्ध ना होना, कई गाँव ऐसे भी होते है जहाँ महीनों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। इसके मुख्य दो मुख्य कारण है, प्रथम–पर्याप्त ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप ना होना और दूसरा, ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉपों में सामग्री का उपलब्ध ना होना। वर्त्तमान में राँची जैसे जिले में महज एक वर्कशॉप क्रियाशील है और उस पर समस्त राँची एवं खूँटी निर्भर है।<br>मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हर जिले में पर्याप्त ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप लगाया जाए जैसे कि राँची जैसे बड़े जिले में 4 वर्कशॉप एवं खूँटी जैसों में भी उसी के अनुपात से 1 अथवा 2, ऐसा करने से मैं समझता हूँ कि आज जो ग्रामीणों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी, हालांकि इन सबों के आलावा हमारी सरकार ने कई स्थानों पर नए वर्कशॉप के निर्माण कार्य को प्रारम्भ भी किया है, जिसके लिए मैं आभार एवं हर्ष प्रकट करता हूँ। | ऊर्जा |
| 05– | श्री राज सिन्हा स0वि0स0 | 14वें वित्त आयोग के तहत् धनबाद नगर निगम, धनबाद को नगर विकास एवं आवास विभाग, राँची के पत्रांक–7894, दिनांक– 26-12-2017 द्वारा विभागीय | नगर विकास एवं आवास |

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | समिति, H.L.M.C से कुल 38 योजना पथ, नाली एवं पथ प्रकाश का समेकित कार्य के लिए राशि 159.33 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उक्त योजना में कार्य के विरूद्ध संवेदक को कुल राशि 84,63,15,300/- का भुगतान किया जा चुका है। शहर की प्रमुख 38 सड़कों में से कई सड़कों को खोद कर कार्य शुरू करने की शुरूआत भी हो गई थी, पर लगभग तीन वर्षो से सड़क निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है और ये सड़के, नाली निर्माण नहीं होने के कारण जानलेवा बन गई है। लोगों के चलने के लायक नहीं है। रोज दुर्घटनाऐं हो रही है।<br>अतः मैं जन-सामान्य को हो रही असुविधा एवं बड़ी राशि के भुगतान के बाद भी कार्य सम्पन्न नहीं करने तथा उक्त सड़कों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ। | |

**राँची,**
**दिनांक- 02 अगस्त, 2023 ई0।**

**सैयद जावेद हैदर**
**प्रभारी सचिव,**
**झारखण्ड विधान सभा,राँची।**

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-45/2023-2058/वि0 स0, राँची, दिनांक- 01/08/23

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग/ सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग एवं सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.08.23
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-45/2023-2058/वि0 स0, राँची, दिनांक- 01/08/23

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

01.08.23
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

01/08/23